

कार्यालय—अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 17-1 (ग) एवं शासनादेश संख्या 221278/XXX(2)/2024/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 28 जून, 2024 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण सत्र 2024-25 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर गढ़वाल मण्डल पौड़ी के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित वेटेरिनरी फार्मसिस्ट का स्थानान्तरण तत्काल प्रभार से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है :-

(ग)अनिवार्य स्थानान्तरण (दुर्गम से सुगम श्रेणी में)

क्र० सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
5	श्री सुरेन्द्र शाह	पशुचिकित्सालय लम्बगांव, टिहरी गढ़वाल	पशुचिकित्सालय मुनीकीरेती, टिहरी	जनहित

11- उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के प्राविधानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से स्थानीय व्यवस्था पर कार्यमुक्त होकर 10 दिन के भीतर नवीन तैनाती स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

(डा० नीरज सिंघल)
अपर निदेशक।

संख्या: 907 /स्था०दो/वा०स्थाना०/2024-25 दिनांक 30 जुलाई, 2024

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, टिहरी।
3. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
4. सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी।
5. सम्बन्धित कार्मिकों को अनुपालनार्थ।

(डा० नीरज सिंघल)
अपर निदेशक।

कार्यालय—अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय आदेश


उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की 17-1 (ख) एवं शासनादेश संख्या 221278/XXX(2)/2024/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 28 जून, 2024 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण सत्र, 2024-25 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर गढ़वाल मण्डल पौड़ी के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित वेटेरिनरी फार्मसिस्टों का स्थानान्तरण तत्काल प्रभार से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है :-

(ख) अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र० सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री मुकेश नैथानी	पशुचिकित्सालय मुनीकीरेती टिहरी	पशुचिकित्सालय सदर, हरिद्वार	निजी अनुरोध
2	श्रीमती सरिता मंगई	पशुचिकित्सालय बछेलीखाल, टि०ग०	पशुचिकित्सालय नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल	निजी अनुरोध
3	श्री उमेश कुमार शर्मा	पशुचिकित्सालय गजा, टि०ग०	पशुचिकित्सालय सिकरोडा, हरिद्वार	निजी अनुरोध
4	श्रीमती दिप्ती रावत	पशुचिकित्सालय अमोला, पौड़ी	पशुचिकित्सालय बछेलीखाल, टि०ग०	निजी अनुरोध
5	श्रीमती आशा देवी	पशुचिकित्सालय नैताला, उत्तरकाशी	पशुचिकित्सालय काण्डई बच्छणस्यू, रुद्रप्रयाग	निजी अनुरोध
6	श्रीमती अनिता भट्ट	पशुचिकित्सालय सचल, पौड़ी	पशुचिकित्सालय गजा, टि०ग०	निजी अनुरोध
7	श्री राजेश लुहानी	पशुचिकित्सालय नारायण बगड, चमोली	पशुचिकित्सालय नैनीडाडा, पौड़ी	निजी अनुरोध
8	श्री रवि भूषण	पशुचिकित्सालय एकेश्वर, पौड़ी	पशुचिकित्सालय लालढाग हरिद्वार	निजी अनुरोध

1- उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के प्राविधानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से स्थानीय व्यवस्था पर कार्यमुक्त होकर 10 दिन के भीतर नवीन तैनाती स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।


2- अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को स्थानान्तरण भत्ते हेतु अर्ह नहीं होंगे।


O/c (डा० नीरज सिंघल)
अपर निदेशक।

संख्या: 906 /स्था०दो/वा०स्थाना०/2024-25 दिनांक 30 जुलाई, 2024

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, पौड़ी / टिहरी / चमोली / उत्तरकाशी / रूद्रप्रयाग / हरिद्वार।
3. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
4. सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी।
5. सम्बन्धित कार्मिकों को अनुपालनार्थ।


O/c (डा० नीरज सिंघल)
अपर निदेशक।

कार्यालय—अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 18-3 एवं शासनादेश संख्या 221278/XXX(2)/2024/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 28 जून, 2024 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण सत्र, 2024-25 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर गढ़वाल मण्डल पौड़ी के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित वेटरिनरी फार्मसिस्टों का स्थानान्तरण तत्काल प्रभार से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है :-

पारिस्परिक स्थानान्तरण

क्र० सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री मनवर सिंह	प०चि० नन्दानगर, चमोली	प०चि० बण्ड पीपलकोटी, चमोली	पारिस्परिक स्थानान्तरण
2	श्री सुखदेव	प०चि० बण्ड पीपलकोटी, चमोली	प०चि० नन्दानगर, चमोली	

1- उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के प्राविधानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से स्थानीय व्यवस्था पर कार्यमुक्त होकर 10 दिन के भीतर नवीन तैनाती स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

2- पारिस्परिक स्थानान्तरण पर किये गये स्थानान्तरित कार्मिकों को स्थानान्तरण भत्ते हेतु अर्ह नहीं होंगे।

(डा० नीरज सिंघल)
अपर निदेशक।

संख्या: 905 /स्था०दो/वा०स्थाना०/2024-25 दिनांक 30 जुलाई, 2024

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, चमोली।
3. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
4. सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी।
5. सम्बन्धित कार्मिकों को अनुपालनार्थ।

(डा० नीरज सिंघल)
अपर निदेशक।